जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना हल्दौर **दिनांक-22.05.2026**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 109/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस से संबंधित बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.05.2026 को वादी श्री गौरव पाल पुत्र अतर सिंह निवासी मौ0 कानून गोयन कस्बा झालूथाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी कि उसकी कक्षा के सहपाठी व उसके अन्य 04 साथियों द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट कर घायल कर दिया तथा इसके उपरान्त उसके सहपाठी का पिता द्वारा अन्य 05-06 अज्ञात के साथ वादी के घर पहुंचकर वादी के परिजनों के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना हल्दौर पर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित 03 बाल अपचारी की पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तगण का विवरण-

पुलिस निगरानी मे 03 बाल अपचारी।

निगरानी में लेने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2.का0 1191 आकाश कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3.का0 506 देवेन्द्र थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
4.रि0का0 शिव धामा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनांक 22.05.2026**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2026 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर पुत्र शमीम निवासी ग्राम हर्षवाड़ा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 235/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम समीर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

1. समीर पुत्र शमीम निवासी ग्राम हर्षवाड़ा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

1- 01 अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास शाहरुख उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0-235/2026 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर।

2.मु0अ0स0-45/2026 धारा 115(2)/117(2)/351(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0स0-171/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0स0-464/2024 धारा 118(1)/351(2)/352 बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1-उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2-हे0का0 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3-का0 1580 ललित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद **दिनांक 22.05.2026**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0-341/2025 धारा 305(ए)/331(4)/317(2)/61(2) बीएनएस से संबंधित एक अभियुक्त को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- :–

दिनांक 27.09.2025 को वादी योगेश कुमार पुत्र स्व शान्ति प्रसाद नि0 मौ0 बालकराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर की चौक बाजार स्थिति दुकान के ऊपर से चढकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुकान का दरवाजा काटकर दुकान से पीली धातु व सफेद धातु व ढाई लाख रू/- की नकदी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0-341/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

नोटः-दिनांक 12.11.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त 1.शुएब पुत्र जफर खान नि0 मछली बाजार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान तथा अभियुक्तगण 2.जफर अली पुत्र हसमत अली 3. राबिया पत्नी जफर खान निवासीगण मौ0 सब्नीग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 4. सहाना पत्नी मौ0 सलीम निवासी मौ0 भगत सिंह कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड 5. रवेद पुत्र शौकत अली निवासी नई बस्ती चारबाग नजीबाबाद जनपद बिजनौर 6. आसिया पत्नी मौ0 फुरकान निवासी मौ0 काजीपाडा थाना को0 शहर जनपद बिजनौर 7.खुर्शीदा पत्नी जफर खान नि0 मौ0 मछलीबाजार नजीबाबाद जनपद बिजनौर हाल पता मौ0 14 कुस्तिया मस्जिद बडी लैन थाना तिलजला कोलकाता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त फराज पुत्र जफर खान निवासी मौ0 सब्नीग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त फराज उपरोक्त की निशादेही पर चोरी किया गया माल (पीली धातू करीब 123 ग्राम व सफेद धातू करीब 584 ग्राम) बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त फराज उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 27/28.09.2025 की रात्रि में उसने अपने साथी शुएब पुत्र जफर निवासी मोहल्ला मछली बाजार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के साथ मिलकर दीवार पार कर योगेश लाला की दुकान की छत पर पहुंचकर सीढ़ी का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान में रखी छोटी तिजोरी/सेफ को तोड़कर उसमें रखे नगद रुपये व जेवर आदि चोरी कर लिये। चोरी किये गये

सामान को एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में रखकर दोनों उसी रास्ते से वापस चले गये तथा कांटे वाली मस्जिद की तरफ से रम्पुरा होते हुए हरिद्वार रोड पर पहुंचकर सामान को छिपा दिया। चोरी किये गये नगद रुपये उन्होंने खर्च कर दिये।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि कुछ दिन बाद उसने अपने पिता जफर अली पुत्र हसमत अली, माता राबिया पत्नी जफर अली निवासीगण मोहल्ला सब्नीग्रान थाना नजीबाबाद, खाला सहाना पत्नी मोहम्मद सलीम निवासी भगत सिंह कॉलोनी देहरादून उत्तराखण्ड, खालू रवेद पुत्र शौकत अली निवासी नई बस्ती चारबाग नजीबाबाद, मौसी आसिया पत्नी मोहम्मद फुरकान निवासी मोहल्ला काजीपाड़ा थाना कोतवाली शहर बिजनौर, मौसी खुर्शीदा तथा बहन जैबा पुत्री इकबाल निवासी मोहल्ला मछली बाजार नजीबाबाद हाल पता 14 कुस्तिया मस्जिद बड़ी लेन थाना तिलजला कोलकाता के साथ मिलकर चोरी किये गये सामान का अपने घर पर बंटवारा किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

फराज पुत्र जफर खान निवासी मौ0 सब्नीग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1.पीली धातू करीब 123 ग्राम

2.सफेद धातू करीब 584 ग्राम।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त फराज उपरोक्त -

1.मु0अ0स0-341/2025 धारा 305(ए)/331(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0-606/2024 धारा 125(बी)/281/352 बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0स0-13/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.निरीक्षक श्री वेदपाल सिंह पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 श्री विनोद कुमार पाण्डेय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4.उ0नि0 श्री अवधेश शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

5.का0 1841 अनुज शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

6.का0 1572 शादाब थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

7.का0 1832 विरेन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 22.05.2026**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 301/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में 02 अभियुक्तो को चोरी की गयी 02 बैट्री सहित गिरफ्तार किया गया।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.05.2026 को वादी श्री निपेन्द्र कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम जलीलपुर थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा ब्लाक जलीलपुर चौराहे पर लगी सोलर लाईट से 02 बैटरे चोरी कर लिये गये है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 301/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्तगण 1. इद्दु पुत्र असलम निवासी ग्राम दतियाना थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर 2. शहजान पुत्र नजाकत निवासी ग्राम शरेपुर ढयोटी थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा को चोरी किये गये 02 बैट्रो सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.इद्दु पुत्र असलम निवासी ग्राम दतियाना थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर

2.शहजान पुत्र नजाकत निवासी ग्राम शरेपुर ढयोटी थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा

बरामदगी विवरण-

02 बैट्रे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अजय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 1604 अमित कुमार शर्मा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. रि0का0 3188 शावेज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. रि0का0 2854 मुकुल राज बालियान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना स्योहारा **दिनांक 22.05.2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 185/26 धारा 333/123/64/351(3)/308(3) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.05.2026 को वादिया ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त इमरान पुत्र मौ0खालिद निवासी मौ0 अफगनान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के घर में घुसकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ गलत कार्य किया गया तथा घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर वादिया से 1,80,000 रुपये लिए गए। तथा अन्य अभियुक्तगण 1. खालिद पुत्र नामालूम, 2. कोकी पत्नी खालिद, 3. रब्बानी पुत्री खालिद निवासीगण मौहल्ला अफगनान, कस्बा सहसपुर, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को जान से मारने की धमकी दी गई ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 185/26 धारा 333/123/64/351(3)/308(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 22.05.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त इमरान पुत्र खालिद निवासी मौ0 अफगानान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पताः-

इमरान पुत्र खालिद निवासी मौ0 अफगानान कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 307 रोहित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3.रि0का0 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।